नागरिक चार्टर
राष्ट्रीय सिध्द संस्थान, चेन्नई

भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सिध्द संस्थान (एन.आई.एस) चेन्नई एक स्वायत्त संगठन है। यह संस्थान सिध्द प्रणाली के सभी पहलुओं में शिक्षण, प्रशिक्षण, एवं अनुसंधान के स्तर को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बढाने के लिए दिनांक ०३.०९.२००५ को भारत के उस समय के माननीय प्रधान मंत्री के द्वारा देश में एक उच्च सिध्द संस्थान के रूप में इस संस्थान को देश के लिए समर्पित किया गया है।

इस संस्थान में सिध्द पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर कोर्स एवं अनुसंधान कोर्स चलाए जाते हैं। इस कोर्स के शैक्षिक एवं परीक्षा के कार्य तमिलनाडु के डॉक्टर एम जी आर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई से संबधित होकर किए जाते हैं एवं भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद से यथानिर्धारित विषय एवं पाठ्यक्रम का अनुपालन किया जाता है।

यह संस्थान 'सामान्य निकाय' जिसके अध्यक्ष माननीय मंत्री, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार हैं, 'शासीय परिषद' (जी सी) जिसके अध्यक्ष सचिव, आयुष मंत्रालय हैं, 'स्थायी वित्तीय समिति' (एस.एफ़.सी) जिसके अध्यक्ष संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय है - द्वारा नियंत्रित होता है। वैज्ञानिक मुद्दों पर, वैज्ञानिक सलाहकार समिति द्वारा नियंत्रण की जाती है। इस संस्थान के अध्यक्ष निदेशक हैं।

I. <u>दृष्टि</u>

सिद्ध में उच्च स्तरीय स्नातकोत्तर कोर्सस प्रदान करना और स्वास्थ्य सेवाएँ भी प्रदान करना है ।

II. <u>मिशन</u>

-स्नातकोत्तर शिक्षण के स्तर को बढाना

-कुछ चयनित रोगों के लए सिध्द दवा विधिमान्य बनाना

-अच्छे स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना

III. <u>उध्देश्य</u>

अ. सिध्द चिकित्सा प्रणाली की संवृध्दि एवं उसकी प्रगति को आगे बढाना

आ. सिध्द प्रणाली द्वारा चिकित्सा सहायता प्रदान करना

इ. सिध्द प्रणाली चिकित्सा में स्नातकोत्तर कोर्स प्रदान करना

ई. अनुसंधान एवं प्रसार कार्य चलाना

उ. उतकृष्ट केन्द्र के रूप में कार्य करना

IV. चिकित्सा सेवाएँ

यहाँ बहिरंग विभाग साल - भर में राष्ट्रीय छुट्टियों को भी मिलाकर सभी 365 दिनों में कार्य चलता है। रोगी के पंजीकरण के लिए केवल एक ही बार रु 5/- लिया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ बहिरंग विभाग और अंतरंग कक्ष के चिकित्सा सेवाएँ बिल्कुल मुफ़्त दी जाती है।

- बहिरंग विभाग के कार्य घंटे: सुबह 8.00 से दोपहर 12.00 तक
- अंतरंग कक्ष में बिस्तरों की संख्या कुल 200 है।
- साल 2015-16 के दौरान बहिरंग विभाग में रोगियों की औसत संख्या प्रति दिन 2032 होती है।
- साल 2015-16 के दौरान बिस्तर का अधिभोग 83% होता है।

V. विशेष बहिरंग

आगंतुक रोगीयों को साप्ताहिक विशेष ओपी एवं मधुमेह, हृदय रोग और श्वासदमा, जराचिकित्सा, प्रसूतिशास्त्र, योग एवं कायाकल्प, मोटापा, कॉस्मिटॉलजि, बांझपन, गुरदे की बीमारी और उच्च रक्तचाप एवं केंसर के लिए विशिष्ट सप्ताह के दिनों में 2.00 PM to 4.00 PM परामर्श और दवाएं दी जाती है।

मधुमेह, हृदय रोग और श्वासदमा के विशेष ओपी: हर सोमवार

जेरीयट्रिक विशेष ओपी: हर मंगलवार

केंसर और कायाकल्प के विशेष ओपी: हर बुधवार

मोटापा और कॉस्मिटॉलजि: हर गुरुवार

बांझपन, गुरदे की बीमारी और उच्च रक्तचाप: हर शुक्रवार

योग थेरेपी: सोमवार से शनिवार सुबह 8.00 बजे से दोपहर 12.00 तक

भुकतान वार्ड:

चिकित्सा बिलकुल नि:शुल्क प्रदान की जाती है। केवल कमरे का किराया वसूल की जाती है।

ए/सी कमरा रु.350/- प्रति दिन प्रति बिस्तर के लिए

VI सिध्द में स्नातकोत्तर कोर्स शिक्षण:

तमिलनाडु डॉक्टर एम जी आर मेडिकल यूनिवर्सिटी से सहबध्द होकर राष्ट्रीय सिध्द संस्थान में तीन साल का एम डी(एस) कोर्स प्रदान की जाती है।

हर साल जुलाई माह के दौरान पी.जी प्रवेश की अधिसूचना जारी की जाती है। तथा इसके लिए लिखित परीक्षा एवं काऊंसलिंग अक्तूबर महीने में आयोजित किए जाते हैं।

शाखाओं के बीच सीट का आबंटन

शाखा	नाम	साल २००८-०९ से प्रतिशत ओबीसी आरक्षण कार्यान्वयन करते हुए
I	मरुथुवम	8
II	गुणपाडम	8
III	सिरप्पु मरुथुवम	8
IV	कुलन्दै मरुथुवम	8
V	नोय नाडल	7
VI	नंजु नूलम मरुथुव नीति नूलम	7
	जोड	46 (1)*

*हर शैक्षिक काल में हर विभाग को बारी बारी सेएक छात्र बीआईएमएसटीईसी के लिए होता है।

- साल 2015-16 के दौरान 41 छात्र दाखिलें हुए है।
- भारत सरकार से निर्धारित मानक अनुसार पी.जी छात्रों को वजीफ़ा दी जाती है।

<u>अनुसंधान कार्यक्रम:</u> निर्देशक के उलब्धता के अनुसार हरेक विभाग के लिए 2 एस आर एफ़ चुने जाएँगें ।

7. <u>अनुसंधान</u>

हांलाकि सिध्द दवाओं का विभिन्न प्रयोग जो लंबे समय के ऎतिहासिक उपयोगों के आधार पर होता रहता है तथा ये अनुभव तथा प्रथाएं पीढी से पीढी के लिए पारित होकर इस चिकित्सा की सुरक्षा होने एवं प्रभावोत्पादक होने की बात प्रकट करती है। पुराने पाठ में दियेनुसार ऎसे उत्पदों के प्रयोग से मिलनेवाले फ़ायदों का वैज्ञानिक

साक्ष्य / उध्दरण देकर प्रदर्शण करते हैं। यह शोध कर्ताओं एवं शिक्षा विदाओं का कर्तव्य है कि वे सिध्द चिकित्सा की शक्ति वैज्ञानिक अध्ययनों के ज़रिये स्थापना करें। विश्वभर में सिध्द चिकित्सा प्रणाली के उपयोग पर समर्थन देनें के लिए, सिध्द में उपलब्द आंकडे की मात्रा एवं सुरक्षा एवं प्रभावोत्पादक होने की गुणवत्ता मानदंड पर्याप्त नहीं।

अनुसंधान प्रक्रिया, सिध्द चिकित्सा प्रणाली की सुरक्षा को मूल्यांकन करने और दवाईयों की सुरक्षा एवं प्रक्रिया आधारित थेरपियों को जमानत देना है। सिध्द दवाएं एक समग्र दृष्टिकोण पर निर्भर करता है तथा इन दवाओं की प्रभावकारिता का मूल्यांकन परंपरागत दवाओं से काफ़ी अलग होता है।

राष्ट्रीय सिध्द संस्थान किसी भी स्नातकोत्तर विध्यार्थी के निबंध की गुणवत्ता बढाने के लिए तीव्र श्रम उठाता है जिसके लिए अधिक सावधानी से अनुसंधान तरीके संस्थान द्वारा अपनाया जाता है ताकि दवाओं के नैदानिक सत्यापन को बढावा दिया जा सके।

संकाय सदस्यों ने जिन संस्थानों के साथ सहमति याने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है उनके साथ मिलकर नैदानिक एवं पूर्ण नैदानिक अध्ययनों पर अनुसंधान कार्य करते हैं

सभी अनुसंधान कार्यों का अनुसंधान समिति का अनुमोदन लेना पडता है तथा संस्थागत एतिक्स समिति / संस्थागत एनिमल एतिक्स समिति का अनुमोदन भी लिया जाता है।

8. <u>समझौता ज्ञापन (एम ओ यु)</u>

राष्ट्रीय सिध्द संस्थान 10 मशहूर सस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करके और श्री रामचंद्रा यूनिविर्सिटी एवं शास्त्रा यूनिविर्सिटी के साथ अनुसंधान एवं शिक्षण संबंधित कार्य कर रहा है।